मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2012-भाद्र 23, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003

दिनांक 06 सितम्बर, 2012

वि. क्र. 156.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम सन् 1973 की धारा-50 की उप-धारा-2 के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेर्डी, शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर की भूमि के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्नांकित ग्रामों के खसरा नम्बरों की भूमि के विकास बाबद अंगीकृत विकास योजना 2021 (मास्टर प्लान) के प्रावधानों एवं उसमें निर्धारित भू-उपयोग अनुसार एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है. इस योजना का योजना क्रमांक 177 दिया गया है.

योजना क्रमांक 177 में ग्राम भंवरासला, भांग्या, कुमेर्डी, शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर एवं ग्राम कैलोदहाला, तलावली चांदा, लसुड़िया मोरी एवं अरंडिया तहसील व जिला इन्दौर के निम्नांकित खसरा नम्बरों की भूमि सम्मिलित हैं.—

1. ग्राम भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—174 पार्ट, 184 पार्ट, 185 पार्ट, 186 पार्ट, 187, 188, 189 पार्ट, 190 पार्ट, 191 पार्ट, 206 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट एवं 215 पार्ट.

2. ग्राम कुमेर्डी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—1पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 एवं 7 पार्ट.

3. ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—29 पार्ट, 30, 31 पार्ट, 33 पार्ट, 35 पार्ट, 113 पार्ट, 117 पार्ट, 118, 119 पार्ट, 128 पार्ट, 129, 130, 131, 132, 133, 134 पार्ट, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 पार्ट, 145 पार्ट, 162 पार्ट, 163, 164, 165, 166, 167 पार्ट, 169 पार्ट, 170, 171, 172, 173, 174, 175 पार्ट, 176, 177 पार्ट, 178, 179 पार्ट, 180 पार्ट, 181 पार्ट, 182 पार्ट, 183 पार्ट, 192 पार्ट, 195 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 199 पार्ट, 200, 201 पार्ट, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 पार्ट, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215, 216 पार्ट एवं 218 पार्ट.

4. ग्राम शक्करखेड़ी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—66 पार्ट, 87 पार्ट, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95 पार्ट, 96 पार्ट, 97, 98 पार्ट, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 पार्ट, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 111 पार्ट, 113 पार्ट, 114, 115, 116, 116/145, 117, 118, 119, 120 पार्ट, 121, 122, 123, 124, 125 पार्ट, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 128, 129, 130 पार्ट, 131 पार्ट, 137 पार्ट, 138 पार्ट, 139 पार्ट, 140, 141 पार्ट एवं 142 पार्ट.

5. **ग्राम कैलोदहाला, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:**—109 पार्ट, 166 पार्ट, 194 पार्ट, 196 पार्ट, 197 पार्ट, 203 पार्ट, 204 पार्ट, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 पार्ट, 213 पार्ट, 214 पार्ट, 215 पार्ट, 220 पार्ट, 221 पार्ट, 222 पार्ट, 223 पार्ट, 234 पार्ट, 235, 236, 237, 238 पार्ट, 239, 240, 241, 242 पार्ट, 245 पार्ट, 253 पार्ट, 254 पार्ट, 255, 256, 257 पार्ट, 258, 259, 260, 261, 262 पार्ट, 263 पार्ट, 264 पार्ट, 266 पार्ट, 298 पार्ट, 302 पार्ट, 304 पार्ट, 305, 306, 307, 308, 309 पार्ट, 310 एवं 311 पार्ट.

6. ग्राम लसुड़िया मोरी, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—1, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट, 6 पार्ट, 12 पार्ट, 44 पार्ट, 102 पार्ट, 103, 104, 105, 106 पार्ट, 107 पार्ट, 108 पार्ट, 111 पार्ट, 124 पार्ट, 125, 126 पार्ट, 127 पार्ट, 207 पार्ट, 208 पार्ट, 209 पार्ट, 210 पार्ट एवं 209/334.

7. ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—24 पार्ट, 25, 26 पार्ट, 31 पार्ट, 206 पार्ट, 207, 208 पार्ट, 209, 210 पार्ट, 215 पार्ट, 219 पार्ट, 221 पार्ट, 222, 223, 224 पार्ट, 225, 226 पार्ट, 228 पार्ट, 230 पार्ट, 231 पार्ट, 233 पार्ट, 234 पार्ट एवं 236 पार्ट.

8. ग्राम अरंडिया, तहसील व जिला इन्दौर के खसरा नंबर:—6 पार्ट, 7 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट, 26 पार्ट, 33 पार्ट, 167 पार्ट, 168 पार्ट, 169 पार्ट, 170 पार्ट, 171 पार्ट, 172, 173, 174, 175, 176 पार्ट, 177, 178 पार्ट, 179 पार्ट, 180, 181 पार्ट, 189 पार्ट, 215 पार्ट, 216 पार्ट एवं 217 पार्ट.

दीपकसिंह,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(136-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री करन सिंह, निवासी—23, आदर्शपुरम् दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर प्रारम्भ से अपना नाम राघवेन्द्र सिंह लिखता था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है. वर्तमान में अपना नाम रविन्द्र सिंह पुत्र श्री करन सिंह लिखना आरम्भ कर दिया है. अत: भविष्य में भी मुझे मेरे नाम राघवेन्द्र सिंह के स्थान पर रविन्द्र सिंह के नाम से ही जाना जावे एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(राघवेन्द्र सिंह)

नया नाम :
(रविन्द्र सिंह)
निवासी —23, आदर्शपुरम् दीनदयाल नगर,
भिण्ड रोड, ग्वालियर.

(134-बी.)

उप- नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम उपनाम सहित होजेफा सैफी (HOZEFA SAIFY) था, अब वर्तमान में मैं, अपना नाम होजेफा के साथ उपनाम सैफी हटाकर अपना नाम होजेफा मुराद (HOZEFA MURAD) रखता हूं. अत: अब वर्तमान में मुझे होजेफा मुराद के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(होजेफा सैफी)

नया नाम :
(होजेफा मुराद)
निवासी—शिवाजी मार्ग, धान मंडी,
ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.).

(135-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स पिताम्बरा स्टोन्स 13, नगर निगम कॉम्पलेक्स हॉस्पीटल रोड, ग्वालियर फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है. इसमें पूर्व में तीन साझेदार थे, 1. श्रीमती प्रीति गुप्ता, 2. श्री छत्रपाल सिंह यादव, 3. श्रीमती रजनी चंसौरियां.

इसमें से दो साझेदार निकल रहे हैं तथा दो नये साझेदार 17 अगस्त, 2012 से सम्मिलित हो रहे हैं. निकलने वाले साझेदार 1. श्री छत्रपाल सिंह यादव, 2. श्रीमती रजनी चंसौरियां.

सम्मिलित होने वाले साझेदार 1. श्री हनी ठक्कर, 2. श्रीमती संतोष ठक्कर. किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

हनी ठक्कर,
मैसर्स पिताम्बरा स्टोन्स,
पार्टनर.

(137-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री केसरबाई चेरिटेबल ट्रस्ट '' कार्यालय 374, हुकूमचंद कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री नारायण पिता हुकूमचंद अग्रवाल, निवासी 374, हुकूमचंद कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''श्री केसरबाई चेरिटेबल ट्रस्ट ''
पता	:	374, हुकूमचंद कॉलोनी, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार, मात्र)

आज दिनांक 01 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(420)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री माँ पद्मावती दिगम्बर जैन बीसपंथ पारमार्थिक न्यास, इन्दौर'' कार्यालय— 9-ई, साधना नगर, संदेश अपार्टमेंट, प्रकोष्ठ क्रमांक 201, एरोड्रम रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री तेजकुमार पिता शांतिलाल सेठी, पता—9-ई, साधना नगर, संदेश अपार्टमेंट, एरोड्रम रोड, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''श्री माँ पद्मावती दिगम्बर जैन बीसपंथ पारमार्थिक न्यास, इन्दौर''

पता : 9-ई, साधना नगर, संदेश अपार्टमेन्ट, प्रकोष्ठ क्रमांक 201, एरोड्रम रोड, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : म्युनिसिपल मकान नम्बर 52/3, नया पुराना 193-194, मल्हारगंज, इंदौर स्थित भवन.

चल सम्पत्ति : रुपये 51,000/- (अक्षरी रुपये इक्यावन हजार मात्र)

आज दिनांक 16 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(420-A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''दादाभाई गुलाबचंद खण्डेलवाल स्मृति सेवा न्यास,'' कार्यालय— धर्म विहार, 5/2 उत्तर हरसिद्धि, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री कपिल पिता राधेश्याम बोहरे, निवासी—प्रखर विद्या निकेतन, ग्राम असरावद खुर्द (कस्तुरबा ग्राम) इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम : ''दादाभाई गुलाबचंद खण्डेलवाल स्मृति सेवा न्यास,''

पता : धर्म विहार, 5/2 उत्तर हरसिद्धि, इन्दौर मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र)

आज दिनांक 21 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(420-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2012

क्र./767/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष: रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक न्यासी आर. एस. अग्रवाल मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) जन संवेदना कल्याण ट्रस्ट सी आई कॉलोनी जहांगीराबाद, भोपाल ने उपस्थित

होकर जन संवेदना कल्याण ट्रस्ट, जिला भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	''जन संवेदना कल्याण ट्रस्ट, जिला भोपाल''.
कार्यालय का पता	..	डॉ. क्लब भवन, सी. आई. कॉलोनी, जेल घाटी, जहांगीराबाद भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 11,000/-

जी. एस. धुर्वे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(421)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सामान्य वनमण्डल, डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 27 अगस्त, 2012

क्र. 442.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वनपरिक्षेत्र शाहपुर के अंतर्गत परिसर हिनौता, श्री रमेश कुमार तेकाम को प्रदायित हैमर नं. बैग फट कर कहीं गिर गया है. उक्त हैमर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो उसे थाने में अथवा नजदीकी वन कार्यालय में जमा करें.

उक्त हैमर का अनाधिकृत रूप से उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

एल. पी. तिवारी,
वनसंरक्षक.

(419)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 29 जून, 2012

क्र./उपसि/परि./11/712.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./634, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रकट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अतः मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जिसके अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99- पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 713 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 29 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(392-F)

सिवनी, दिनांक 25 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1017.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./703, दिनांक 27 जून, 2012 के द्वारा मछुआ सहकारी समिति मर्या., सादकसिंवनी, पं. क्र. 717, विकासखंड छपारा, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., सादकसिंवनी, पं. क्र. 717, विकासखंड छपारा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड छपारा को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-G)

सिवनी, दिनांक 25 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1018.— कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./702, दिनांक 27 जून, 2012 के द्वारा प्रोन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेलीकलां, पं. क्र. 867, विकासखंड धनौरा, जिला सिवनी को अवसर प्रदाय किया गया था कि समुचित कारण प्रस्तुत न करने पर संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जावे. उक्त सूचना पत्र के संबंध में संस्था द्वारा नियत दिनांक तक उपस्थित होकर अपना पक्ष या प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए प्रोन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरेलीकलां, पं. क्र. 867, विकासखंड धनौरा को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड धनौरा को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया जाता है.

(392-H)

सिवनी, दिनांक 28 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./उपसि/परि./12/1041.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्र./उपसि/परि./700, दिनांक 27 जून, 2012 के द्वारा नवचेतना आदि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लेहडीकोल, पं. क्र. 630, विकासखंड घंसौर, जिला सिवनी को सुनवाई का अवसर प्रदाय किया गया था.

संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 07 जुलाई, 2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि ''कार्यालय से निर्वाचन हेतु कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा और न ही कोई आदेश प्राप्त हुआ''. जबकि तत्संबंध में कार्यालय द्वारा संस्था का निर्वाचन कराने हेतु नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों का पंचनामा सहित लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन हेतु संस्था अध्यक्ष से संपर्क करना चाहा परंतु संस्था अध्यक्ष जानबूझकर चले गये एवं निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया उक्त आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का उपयोग करते हुए नवचेतना आदि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लेहडीकोल, पं. क्र. 630, विकासखंड घंसौर को

परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड घंसौर को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(392-I)

सिवनी, दिनांक 30 जुलाई, 2012

क्र./उपसि/परि./12/1044.—लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी को इस कार्यालय के पत्र क्र./उपसि/परि./251, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था एवं संस्था के दायित्वों के निपटारे हेतु धारा-70 (1) के तहत श्रीमती शिवानी ताराम को इस संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के दायित्वों का निराकरण कर परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन के अंतिम प्रतिवेदन के अनुसार प्रकट होता है कि वर्तमान में संस्था का किसी भी स्तर पर कोई लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एन. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17-1961) की धारा-18 (1) के अंतर्गत जो अधिकार मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 790 का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व इस आदेश दिनांक से समाप्त समझा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 30 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एन. सिंह,
उप-पंजीयक.

(392-J)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 11 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (4) के अन्तर्गत]

''विघटन प्रमाण-पत्र''

क्र./परि./2012/540.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि/2012/121, बड़बानी, दिनांक 21 फरवरी, 2012 के द्वारा यश साख सहकारिता मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 28 मई, 2008 है, को मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-59 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-60 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट उप-अंकेक्षक, बड़वानी को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जी. एल. बड़ोले, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 की धारा-65 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ

आज दिनांक 11 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(393)

बड़वानी, दिनांक 12 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/543.—श्री कान्हा विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 216, दिनांक 11 मई, 2007 है, को

परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2011/471, बड़वानी, दिनांक 11 जून, 2012 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, मेरे मतानुसार से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं , जी. एल. बड़ोले, सहायक आयुक्त एवं पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69, जिसके अन्तर्गत पंजीयन की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पंद्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए श्री कान्हा विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाद, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. यह आदेश ज़ारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

जी. एल. बड़ोले,

(393-A) सहायक आयुक्त (प्रशासन).

कार्यालय आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल

भोपाल, दिनांक 06 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क) के अन्तर्गत]

क्र./भूविअ/2012/421.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण विद्युत संघ मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 209, दिनांक 31 अगस्त, 1989 (जिसे आगे केवल संघ कहा गया है) अकार्यशील होने तथा उद्देश्यों की पूर्ति की दशा में असफल रहने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/भूविअ/1/11/581, दिनांक 08 अगस्त, 2011 जारी किया जाकर सुनवाई तिथि 25 अगस्त, 2011 नियत की गई. सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया. प्रबंध संचालक द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं पक्ष समर्थन के आधार पर प्रकरण निर्णय हेतु सुरक्षित किया गया. मध्यप्रदेश ग्रामीण विद्युत संघ, जबलपुर को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में अधिरोपित आरोपों की विवेचना निम्नानुसार की गई :—

संघ की 14 सदस्य संस्थाओं में से 13 सदस्य संस्थाएं (ग्रामीण विद्युत समितियां) विद्युत कम्पनियों द्वारा न्यायालयीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित की जा चुकी हैं. 13 संस्थाओं में से 09 संस्थाएं परिसमापनाधीन हैं तथा 04 संस्थाओं के अधिग्रहण उपरांत परिसमापन में लाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं. केवल एक समिति पंधाना अस्तित्व में है. इस प्रकार संस्था के संचालक मण्डल की बैठक हेतु गणपूर्ति (कोरम) का अभाव उत्पन्न हो गया हैं. संघ की 14 सदस्य संस्थाओं में से 13 संस्थाओं का अधिग्रहण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जा चुका है. अत: इनमें से 09 संस्था परिसमापनाधीन है. 04 संस्थाओं के संबंध में परिसमापन की कार्यवाही करने के निर्देश जारी होने के कारण संस्था के संचालक मण्डल का गठन होना संभव नहीं रह गया है. संघ ने अधिनियम का अनुपालन किया जाना वर्तमान में बंद कर दिया है. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संघ की 13 सदस्य संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्य उनसे वापिस लेकर अपने अधीन ले लिया गया है. जिससे सदस्य संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा विद्युत वितरण कार्य स्वत: बन्द हो गया है. ऐसी स्थिति में संघ को बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. उपरोक्त से स्पष्ट है कि संघ के गठन का उद्देश्य पूर्णत: समाप्त हो चुका है. प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण विद्युत संघ जबलपुर ने अपने पत्र क्रमांक 565, दिनांक 29 मार्च, 2012 एवं पत्र क्रमांक 568, दिनांक 05 अप्रैल, 2012 से प्रस्तुत उत्तर में संघ को परिसमापन में लाये जाने का अनुरोध किया है. उक्त कारणों से संघ का अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है.

अत: मैं, बी. एस. बास्केल, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-ए, दिनांक 26 जुलाई, 2009 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण विद्युत संघ मर्या., जबलपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) क के अन्तर्गत परिसमापन में लाने का आदेश करता हूं तथा संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर को संस्था की लेनदारी, देनदारी का युक्तियुक्त निराकरण करने हेतु धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 06 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. बास्केल,

(394) संयुक्त आयुक्त .

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारिता, जिला पूर्व निमाड़, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 17 अगस्त, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/786.—सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, खण्डवा जिसका पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 25 मई, 1979 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/937, दिनांक 09 जुलाई, 2012 द्वारा दिया गया था, प्रत्युत्तर देने हेतु 30 दिवस की समय-सीमा नियत की गई थी. संस्था से निम्नानुसार बिन्दुओं पर जवाब चाहा गया था :—

1. संस्था के निर्वाचन में किसी सदस्य द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है.
2. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियां एवं पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था अकार्यशील है.
4. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.

संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त कारणों के संबंध में प्रस्ताव जवाब संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15/एफ-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, खण्डवा पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 25 मई, 1979 को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सुभाष चौव्हाण, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री सुभाष चौव्हाण, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 17 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-पंजीयक.

(395)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोजडी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1035, दिनांक 17 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.214, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(396)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1175,दिनांक 10 मई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.261, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(396-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

हरिजन आदिवासी सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., क्षिप्रा सन्नोड़, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 167, दिनांक 30 अक्टूबर, 1969 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 153, दिनांक 10 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 28 जनवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक .....तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक/जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एल. सावले, अंके. अधिकारी देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री डी. एल. सावले, अंके. अधिकारी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(396-B)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जिला मुरैना

दिनांक 30 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बन्धियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध समिति, गोपी	853/04-02-1989

1	2	3
2.	दुग्ध समिति, हिगावली	468/12-12-1980
3.	दुग्ध समिति, पिलुआ	912/09-11-1989
4.	दुग्ध समिति, धनेला	557/13-03-1987
5.	दुग्ध समिति, दिमनी	453/23-10-1980
6.	दुग्ध समिति, किसरोली	1246/10-06-2004
7.	दुग्ध समिति, पीपरीपुरा	817/24-01-1988
8.	दुग्ध समिति, गढीमलवसई	923/16-11-1990
9.	दुग्ध समिति, नावली	622/03-06-1986
10.	दुग्ध समिति, अरदोनी	905/07-11-1989
11.	दुग्ध समिति, रंचोली	897/07-11-1989
12.	दुग्ध समिति, लभनपुरा	584/23-06-1985

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(397)

दिनांक 10 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बन्धियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध समिति, मृगपुरा	682/24-04-1987
2.	दुग्ध समिति, जेबराखेड़ा	698/27-08-1987
3.	दुग्ध समिति, हिंगोनाखुर्द	488/15-02-1981
4.	दुग्ध समिति, रसीलपुर	917/07-11-1989
5.	दुग्ध समिति, डोंगरपुरकिरार	915/07-11-1989
6.	दुग्ध समिति, सांगोली	1249/10-06-2004
7.	दुग्ध समिति, कंचनपुर	557/13-03-1984
8.	दुग्ध समिति, देवगढ़	696/27-08-1987
9.	दुग्ध समिति, खेरीयाकलां	811/07-01-1989

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

(397-A)

दिनांक 28 जून, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बन्धितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	सिरमिती	447/23-10-1980
2.	बडागांव	448/23-10-1980
3.	जतबार का पुरा	463/12-12-1980
4.	महेबा का पुरा	483/04-04-1981
5.	चुरहेला	558/13-03-1984
6.	जरारा	561/13-03-1984
7.	खासखेडा	684/28-04-1987
8.	चॉदपुर	737/11-03-1988
9.	खडगपुर	818/27-01-1989
10.	बिसेंठा	903/07-11-1989
11.	बमरौली	904/07-11-1989
12.	तिबारी का पुरा	906/07-11-1989
13.	रिठौराकलॉ	914/07-11-1989
14.	उमरियायी	583/25-05-1985
15.	रूअर	680/28-04-1987
16.	उसैद का पुरा	681/28-04-1987
17.	हाथीरती का पुरा	685/28-04-1987
18.	रोरिया पुरा	796/30-11-1988
19.	महासुख का पुरा	797/30-11-1988
20.	धोबाटी	801/30-11-1988
21.	लेन का पुरा	798/30-11-1988
22.	पल्लू का पुरा	803/30-11-1988
23.	गोले की गढ़ी	806/30-11-1988
24.	कुम्हरपुरा	807/30-11-1988
25.	शिकारीपुरा	825/27-01-1989
26.	गढिया	830/27-01-1989
27.	बान का पुरा	824/27-01-1989
28.	कटैलापुरा	854/04-02-1989
29.	पांचौली	858/04-02-1989
30.	बढापुरा जौंहा	870/30-03-1989
31.	तिलोल	1244/10-06-2004

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धितों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

श्रीनिवास शर्मा,
परिसमापक एवं पर्यवेक्षक.

(397-B)

दिनांक 10 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बन्धियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध समिति, परसोटा	841/27-10-1988
2.	दुग्ध समिति, रजोदा	800/30-11-1988
3.	दुग्ध समिति, खेरली	836/27-01-1989
4.	दुग्ध समिति, हुसैनपुर	767/30-06-1988
5.	दुग्ध समिति, माधौगढ़	833/27-01-1989
6.	दुग्ध समिति, भिलसैया	772/30-06-1988
7.	दुग्ध समिति, ऐंचोली	826/22-01-1989
8.	दुग्ध समिति, खेरों	770/30-06-1988
9.	दुग्ध समिति, निगावनी	710/07-11-1987
10.	दुग्ध समिति, बंधपुरा	799/30-11-1988

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

एच. एस. राणा,
परिसमापक.

(398)

दिनांक 10 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 57-सी के अन्तर्गत)

यह कि समस्त सम्बन्धियों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	दुग्ध समिति, पंचमपुरा	693/27-08-1987

1	2	3
2.	दुग्ध समिति, ताजपुर	692/27-08-1987
3.	दुग्ध समिति, लोहरीपुरा	697/27-08-1987
4.	दुग्ध समिति, पठानपुरा	700/27-08-1987
5.	दुग्ध समिति, आरेठी	1238/10-06-2004
6.	दुग्ध समिति, कलुआपुरा	1304/02-02-2004
7.	दुग्ध समिति, मुदावली	1233/10-06-2004
8.	दुग्ध समिति, खिडोरा	1316/06-12-2005
9.	दुग्ध समिति, सकतपुर	716/09-11-1989

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण करना है एवं पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही पूर्ण करनी है. अत: समस्त सम्बन्धियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी को उक्त संस्था से कोई लेनदारी/देनदारी है तो वह अपने दावे सूचना-पत्र के प्रकाशन से 2 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जाकर कि कोई दावा नहीं है, संस्था के लेनदारी/देनदारी का अंतिम निराकरण कर दिया जावेगा.

रज्जाक खान,
परिसमापक.

(399)

कार्यालय परिसमापक एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नकवाड़ा

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला हरदा के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/437, हरदा, दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नकवाड़ा	76/16-12-2012

अत: मैं, आनंद गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57-सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अंदर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

(400)

कार्यालय परिसमापक एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरधा

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला हरदा के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/436, हरदा, दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मगरधा	82/31-12-2002

अत: मैं, आनंद गोंधलेकर, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां, जिला हरदा, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57-सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात सामान, देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अंदर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देवें. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

आनंद गोंधलेकर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(400-A)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 31 मई, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2012/2571.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत जीवन सार्थक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./2127, दिनांक 23 अगस्त, 2003 है, संस्था को पत्रांक 6691, दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं स्मरण पत्र क्रमांक 605, दिनांक 03 फरवरी, 2012 द्वारा जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई. इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि संस्था अकार्यशील है. पेपर विज्ञप्ति दि. 1 मार्च, 2012 के बाद भी संस्था अनुपस्थित रही.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पंद्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, शिवम मिश्रा, सहायक आयुक्त, सहकारिता जिला इन्दौर जीवन सार्थक सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाने का आदेश देता हूं तथा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मोहनसिंह दागी, S. C. I. को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम मिश्रा,
सहायक आयुक्त (सहकारिता).

(401)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
नगर पालिक निगम कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2005-06, 2009-10 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2005-06, 2009-10 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
मध्यम वर्गीय लघु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यक्ष वर्गीय लघु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./ दिनांक ..... की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2009-10, 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ शीतला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./404, दिनांक 29 मार्च, 2008 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2009- 10, 2010- 11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2009- 10, 2010- 11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
दि ग्वालियर लेदर शू मेकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार दि ग्वालियर लेदर शू मेकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./14, दिनांक 08 अक्टूबर, 1969 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2009-10, 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

कृषि महाविद्यालय प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि महाविद्यालय प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./361, दिनांक 30 अक्टूबर, 1977 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010- 11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2008-09 से 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. बाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
ग्वालियर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./72, दिनांक 2 जून, 1989 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2008-09 से 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2008-09 से 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,
छत्रसाल साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्रसाल साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./906, दिनांक 22 मार्च, 2001 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2007-08 से 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2007-08 से 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ

सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
शहीद स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहीद स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./55, दिनांक 05 दिसम्बर, 1973 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमिततायें पाई गईः—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2009-10, 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अतः संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(406-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी,
श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रमिक सहयोग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्रमांक/ए. आर./डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./71, दिनांक 22 अगस्त, 1978 की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार

अनियमिततायें पाई गईं:—

1. संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

2. संस्था ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है.

3. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था उपनियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.

4. संस्था द्वारा वर्ष 2009-10 से 2010- 11 से लेखा पुस्तकों का नियमानुसार संधारण नहीं किया जाकर अंकेक्षण हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है. जिससे संस्था का वर्ष 2009-10 से 2010-11 का अंकेक्षण लंबित है.

अत: संस्था की निष्क्रियता, कार्य संचालन में अरुचि तथा सहकारी विधान व नियमों का उल्लंघन करने के कारण मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोपों के लिए सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित अवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं, तद्नुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 अगस्त, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(406-H)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 442, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा चुना निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पुन्याकर, तहसील....., जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 337, दिनांक 24 जून, 1964 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. पी. गोयल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(407)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 442, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा दाल चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जोबट, तहसील....., जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 246, दिनांक 14 मार्च, 1968 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. पी. गोयल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(407-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 442, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा टट्टा टोकनी सहकारी संस्था मर्या., नेहतड़ा, तहसील....., जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 240, दिनांक 05 दिसम्बर, 1961 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एच. पी. गोयल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(407-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 428, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के द्वारा ग्रेनाईट खदान मजदूर सहकारी संस्था मर्या., तीती, तहसील....., जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 743, दिनांक 14 दिसम्बर, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(407-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 586, दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के द्वारा शिल्पकला कारीगर खुदाई कामगार सहकारी संस्था मर्या., अम्बुआ, तहसील....., जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 18 मई, 1962 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आई. डी. सर्राफ, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, बी. एस. परते, उप- रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

बी. एस. परते,
उप-रजिस्ट्रार.

(407-D)

कार्यालय परिसमापक एवं कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मैहर

क्र. 053-43/परि.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक परि./2012/274, दिनांक 28 फरवरी, 2012 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, अमरपाटन, जिला सतना	A-R/STA/629, dt. 30-05-1984	परिसमापन/2012/274, दि. 28-02-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्था के संबंधित दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.), मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मैहर, जिला सतना, मध्यप्रदेश में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. पाण्डेय,
परिसमापक एवं कार्यपालन यंत्री.

(408)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/785.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/249/विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2007 से इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./व्ही. डी. एस./602,

दिनांक 15 फरवरी, 2002 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लायरा, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./602, दिनांक 15 फरवरी, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(409)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/786.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1230/विदिशा, दिनांक 08 सितम्बर, 2000 से श्रमजीवि कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, जाफराबाद पिपरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./व्ही. डी. एस./272, दिनांक 5 मार्च, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा श्रमजीवि कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, जाफराबाद पिपरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रमजीवि कामगार एवं कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित, जाफराबाद पिपरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./व्ही. डी. एस./272, दिनांक 5 मार्च, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय(बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(409-A)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/787.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/361/विदिशा, दिनांक 16 मार्च, 2006 से हरिजन आदिवासी खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कालापाठा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./व्ही. डी. एस./484, दिनांक 26 मार्च, 1993 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा हरिजन आदिवासी खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कालापाठा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की

कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरिजन आदिवासी खनिज उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कालापाठा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./व्ही. डी. एस./484, दिनांक 26 मार्च, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(409-B)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/788.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1996/495/विदिशा, दिनांक 11 मार्च, 1996 से श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./417, दिनांक 30 जनवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./व्ही. डी. एस./417, दिनांक 30 जनवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(409-C)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/789.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2000/1444/विदिशा, दिनांक 02 नवम्बर, 2000 से प्राथमिक हरिजन खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बंजरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./418, दिनांक 01 फरवरी, 1992 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. एस. रघुवंशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बासौदा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा प्राथमिक हरिजन खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बंजरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक हरिजन खनिज कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, बंजरिया, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./418, दिनांक 01 फरवरी, 1992 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(409-D)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./उपंज/2007/736, जबलपुर, दिनांक 15 जून, 2007 के द्वारा संस्था मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक.....है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री जी. पी. साहू, वसनि द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, व्ही. के. पाण्डे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 80, दिनांक.....का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डे,
उप-पंजीयक.

(410)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./96/4010, जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 1996 के द्वारा संस्था मध्यप्रदेश राज्य परिवहन सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 05 अगस्त, 1971 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मध्यप्रदेश राज्य परिवहन सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 409, दिनांक 05 अगस्त, 1971 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./94/1836, जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई, 1994 के द्वारा संस्था गवर्नमेन्ट स्टूडेन्ट पॉलिटेकनिक उप. सह. भंडार, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 29 जून, 1961 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, C.E.O. जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गवर्नमेन्ट स्टूडेन्ट पॉलिटेकनिक उप. सह. भंडार, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 29 जून, 1961 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2001/1993, जबलपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2001 के द्वारा संस्था एकराम प्रा. उप. सह.भं. मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1488, दिनांक 29 जून, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, C.E.O. जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था एकराम प्रा. उप. सह.भं. मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1488, दिनांक 29 जून, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./79/3056, जबलपुर, दिनांक 31 जुलाई, 1979 के द्वारा संस्था नगर निगम सामान्य विभाग कर्म. सहकारी साख समिति, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 31 दिसम्बर, 1951 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदौलिया, उप-अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नगर निगम सामान्य विभाग कर्म. सहकारी साख समिति, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 53, दिनांक 31 दिसम्बर, 1951 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./98/3435, जबलपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 1998 के द्वारा संस्था जबलपुर विवि कर्म. साख सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 26 जुलाई, 1965 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदौलिया, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था जबलपुर विवि कर्म. साख सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 26 जुलाई, 1965 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./01/3514, जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 के द्वारा संस्था इंद्रा महिला उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 19 जून, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, C.E.O. जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था इंद्रा महिला उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 19 जून, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./93/2228, जबलपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 1993 के द्वारा संस्था नर्मदा नौका विहार कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, भेड़ाघाट, पंजीयन क्रमांक 370, दिनांक 06 जनवरी 1969 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, स.वि.अ., जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नर्मदा नौका विहार कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्यादित, भेड़ाघाट, पंजीयन क्रमांक 370, दिनांक 06 जनवरी 1969 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./97/976, जबलपुर, दिनांक 20 मार्च, 1997 के द्वारा संस्था तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्यादित, डगडगा हिनौता, पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 10 फरवरी, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, स.वि.अ., जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था तिलहन उत्पादक सह. समिति मर्यादित, डगडगा हिनौता, पंजीयन क्रमांक 1427, दिनांक 10 फरवरी, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./96/4008, जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 1996 के द्वारा संस्था करौंदी शिक्षक प्रायमरी सहकारी साख समिति मर्यादित लि., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 30 जून, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं देनदारी, लेनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था करौंदी शिक्षक प्रायमरी सहकारी साख समिति मर्यादित लि., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 10, दिनांक 30 जून, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 14 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2001/3406, जबलपुर, दिनांक 08 नवम्बर, 2001 के द्वारा संस्था हुबलताज उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1472, दिनांक 04 सितम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री व्ही. के. तिवारी, C.E.O. जबलपुर द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था हुबलताज उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1472, दिनांक 04 सितम्बर, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2002/2018, जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2002 के द्वारा संस्था नगर निगम जल प्रदाय कर्मचारी साख सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक ..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नगर निगम जल प्रदाय कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक..... का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2002/3819, जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर, 2002 के द्वारा संस्था शिवत्रिशूल सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 580 दिनांक ..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री टी. आर. चौधरी, उप.अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये

जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शिवत्रिशूल सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 580 दिनांक..... का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./99/3331, जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त, 1999 के द्वारा संस्था नवजागृति सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक ..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. के. तिवारी, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था नवजागृति सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक..... का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./96/4023, जबलपुर, दिनांक 10 अक्टूबर, 1996 के द्वारा संस्था पूर्वी निवाड़गंज सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 52, दिनांक 26 दिसम्बर, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री अमित ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था पूर्वी निवाड़गंज सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 52, दिनांक 26 दिसम्बर, 1959 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./99/4172, जबलपुर, दिनांक 05 नवम्बर, 1999 के द्वारा संस्था स्वंय सुधार सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 23 अक्टूबर, 1973 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था स्वंय सुधार सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 23 अक्टूबर, 1973 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./99/4172, जबलपुर, दिनांक 05 नवम्बर, 1999 के द्वारा संस्था लाल बहादुर शास्त्री सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 17 मार्च, 1973 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी. एम. सोनी, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था लाल बहादुर शास्त्री सहकारी साख समिति मर्यादित, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 17 मार्च, 1973 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(411-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालय आदेश क्रमांक/उपंज/परि./2000/468, जबलपुर, दिनांक 29 फरवरी, 2000 के द्वारा संस्था सोनिया महिला प्रा.उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 29 सितम्बर, 1993 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री मोहन ताम्रकार, S.C.I. द्वारा संस्था के परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी, लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरान्त परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी, देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था सोनिया महिला प्रा.उप. सहकारी भण्डार मर्यादित, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 29 सितम्बर, 1993 का पंजीयन निरस्त करता हूं. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक पंजीयक.

(411-P)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंडका का पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/237, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डुंडका का पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

अपेक्स ग्रुप श्रमिक संघ कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 888, दिनांक 04 अप्रैल, 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/224, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत अपेक्स ग्रुप श्रमिक संघ कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, मेघनगर का पंजीयन क्रमांक 888, दिनांक 04 अप्रैल, 1995 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कमलसिंह गार्डे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

रेत खदान सहकारी संस्था मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 18 जून, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/226, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत रेत खदान सहकारी संस्था मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1038, दिनांक 18 जून, 2009 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री कैलाश मूवेल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/228, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्यादित, नवापाडा का पंजीयन क्रमांक 1069, दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सुभाष कर्णिक, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

जन कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 02 दिसम्बर, 1959 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/227, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत जन कल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 02 दिसम्बर, 1959 को

परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एल. एस. ठाकुर, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

बजरंग सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 06 अक्टूबर, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/225, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत बजरंग सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, झाबुआ का पंजीयन क्रमांक 585, दिनांक 06 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री संजय सोलंकी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरकोट का पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 16 मार्च, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/233, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उमरकोट का पंजीयन क्रमांक 534, दिनांक 16 मार्च, 1984 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंगपुरा का पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/229, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरसिंगपुरा का पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सजेलीमालजी सात का पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 12 जुलाई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/231, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सजेलीमालजी सात का पंजीयन क्रमांक 1011, दिनांक 12 जुलाई, 1997 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुमका का पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/235, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झुमका का पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 19 अप्रैल, 1994 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठिकरिया का पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/232, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी.

निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठिकरिया का पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलियाछोटी का पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 29 मार्च, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/230, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कलियाछोटी का पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 29 मार्च, 1997 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फुलेडी का पंजीयन क्रमांक 1045, दिनांक 22 अगस्त, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/236, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, फुलेडी का पंजीयन क्रमांक 1045, दिनांक 22 अगस्त, 2008 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

(412-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खच्चरटोडी का पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 04 अगस्त, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2012/234, झाबुआ, दिनांक 27 मार्च, 2012 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, बबलू सातनकर, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खच्चरटोडी का पंजीयन क्रमांक 465, दिनांक 04 अगस्त, 1988 को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को जारी किया गया है.

बबलू सातनकर,

(412-M) उपायुक्त (सहकारिता) एवं उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/294.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बटावदा, तहसील आगर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 31 मार्च, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/978, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/295.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिलावद मैना, तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 240, दिनांक 24 अक्टूबर, 1983 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/2063, दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413-A)

शाजापुर, दिनांक 29 मार्च, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/296.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोहडिया, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 809, दिनांक 28 मार्च, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/11/980, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था से कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मार्च, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(413-B)

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/307.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टिगरिया, तहसील मो. बडोदिया व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 508,दिनांक 29 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/976, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था सदस्यों एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि प्रतिवेदन अनुसार संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टिगरिया, तहसील मो. बडोदिया व जिला शाजापुर का पंजीयन क्रमांक/508, दिनांक 29 मार्च, 1989 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/976 दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूं. कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नांकित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूं :—

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	पद
1	2	3
1.	श्री जीवनसिंह पिता भेरूसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री तेजसिंह पिता मेहताबसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्री अर्जुनसिंह पिता शंकरलाल	संचालक
4.	श्री मोड़सिंह पिता काशीराम	संचालक
5.	श्री बाबुलाल पिता मेहताबसिंह	संचालक
6.	श्री भगवानसिंह पिता जगन्नाथ	संचालक
7.	श्री गोपालसिंह पिता प्रभुलाल	संचालक
8.	श्री दिनेशकुमार पिता दीनूसिंह	संचालक
9.	श्री कमलसिंह पिता रतनसिंह	संचालक

संस्था को निम्न शर्तों पर पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. संस्था के पुराने लाभ हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.
2. नामांकित संचालक मण्डल तीन माह की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व आवश्यक रूप से निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(413-C)

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/308.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कडिया, तहसील सुसनेर व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/1026, दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था सदस्यों एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि प्रतिवेदन अनुसार संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कडिया, तहसील सुसनेर व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1026 दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूं. कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नांकित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूं :—

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	पद
1	2	3
1.	श्री गजराजसिंह पिता अनुपसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री बंसीलाल पिता भुवानजी	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामलाल पिता रतनजी	संचालक
4.	श्री हरिसिंह पिता कालूसिंह	संचालक
5.	श्री पन्नालाल पिता भवरजी	संचालक
6.	श्री लक्ष्मीनारायण पिता भुवानीराम	संचालक

संस्था को निम्न शर्तों पर पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. संस्था के पुराने लाभ हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.
2. नामांकित संचालक मण्डल तीन माह की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व आवश्यक रूप से निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(413-D)

शाजापुर, दिनांक 31 मार्च, 2012

क्र./परि./2012/310.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कडूला, तहसील मो. बडोदिया व जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 447, दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/977, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था सदस्यों एवं परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया. प्रतिवेदन के परीक्षण में यह पाया गया कि प्रतिवेदन अनुसार संस्था का अस्तित्व में बना रहना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कडूला, तहसील मो. बडोदिया, जिला शाजापुर का पंजीयन क्रमांक/447, दिनांक 13 नवम्बर, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/977, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करता हूं. कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नांकित संचालक मण्डल को नामांकित करता हूं :—

क्रमांक	नाम व पिता का नाम	पद
1	2	3
1.	श्री बहादुरसिंह पिता बापूसिंह	अध्यक्ष

1	2	3
2.	श्री भॅवरलाल पिता राजाराम	उपाध्यक्ष
3.	श्री सिद्धलाल पिता पन्नानलाल मालवीय	संचालक
4.	श्री विक्रमसिंह पिता मानसिंह	संचालक
5.	श्री सज्जनसिंह पिता भेरूसिंह	संचालक
6.	श्री कालूसिंह पिता फूलसिंह	संचालक
7.	श्री बालकृष्ण पिता भागीरथ	संचालक
8.	श्री एलकारसिंह पिता प्रतापसिंह	संचालक
9.	श्री भॅवरलाल पिता नारायणजी	संचालक

संस्था को निम्न शर्तों पर पुनर्जीवित किया जाता है.—

1. संस्था के पुराने लाभ हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.
2. नामांकित संचालक मण्डल तीन माह की समयावधि पूर्ण होने के पूर्व आवश्यक रूप से निर्वाचन सम्पन्न करायें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(413-E)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	अन्त्यव्यवसायी वीर बजरंग यातायात सह. संस्था मर्या., टोंककला.	711, दि. 15-11-1994	1272, दि. 10-05-2012
2.	श्री अम्बे रेत खदान सह. संस्था मर्या., देवास	857, दि. 01-09-1998	1274, दि. 10-05-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियों बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

विनोद सरयाम,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(414)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी,
आवास संघ कर्मचारी साख संस्था मर्या., भोपाल.
पंजीयन क्र.-ए. आर.बी.-313, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989.

श्री उत्तम कुमार सक्सेना, प्रभारी अधिकारी द्वारा श्री आर. के. खत्री की अध्यक्षता वादी कमेटी द्वारा पारित प्रस्ताव जिसमें सदस्यों में परस्पर विश्वास की कमी के कारण समिति अपने उद्देश्यों के अनुसार वर्ष 2007 से कार्य नहीं कर रही है. समिति के कई सदस्य छत्तीसगढ़ चले गये हैं एवं अनिवार्य सेवानिवृत्त में सेवा से पृथक् हो गये हैं. समिति के सदस्यों ने जो ऋण लिया था, वह कालातीत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और असदस्यों की जो ऋण मांग है, उसके अनुरूप संस्था में राशि नहीं है, का उल्लेख कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत संस्था को परिसमापन में लाने एवं धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया है.

उपरोक्त कारणों से प्रथम दृष्टया संस्था को परिसमापन में लाने हेतु पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संस्था की विशेष साधारण सभा में समस्त सदस्यों के विचाराधीन रखा जावे तथा विशेष साधारण सभा द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 28 मई, 2012 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किया जावे.

उक्त तिथि को प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा की संस्था के समस्त सदस्यों को उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. प्रकरण में विधि अनुकूल कार्यवाही करदी जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

ओ. पी. गुप्ता,
सहायक आयुक्त.

(415)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर-2012-भाद्र 23, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 मई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के मंदसौर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) **0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—जिला मंदसौर (मंदसौर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला शहडोल, मंदसौर, नीमच, धार, प. निमाड़, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, हरदा, डिण्डोरी तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, राजगढ़, भोपाल, बैतूल तथा छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30 मई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) बाजरा, गेहूँ, राई-सरसों	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .		समान.		
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		मूँगफली अधिक. तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) . .		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		अलसी समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना, मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. सारंगपुर	. .				
7. पलेरा	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. ओरछा	. .				
10. लिधौरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) बाजरा, मक्का, चना, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		मसूर, मटर, प्याज अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		धान, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, तिल,		
4. पवई	. .		गेहूँ, जौ, अलसी, आलू कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उड़द, मूँग, गन्ना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	. .	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. सेमरिया	. .				
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9. रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. जबा	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) . .		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढ़ार	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी अधिक. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, आलू, जौ, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासरा-टप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	. .	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	9.0				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		मसूर, आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
***जिला झाबुआ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	. .	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
***जिला इन्दौर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		तुअर, गेहूँ, चना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) . .		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. वरला	. .				
जिला पूर्व निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	. .				
4. जावर	. .				
5. इछावर	. .				
6. नसरुल्लागंज	. .				
7. बुधनी	. .				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		तिवड़ा, सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		(2) . .		
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आमला	. .				
8. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. . .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, गेहूँ, मसूर, चना,मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेडा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख, तिवड़ा समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला शयोपुर, अशोकनगर, गुना, रीवा, रतलाम, झाबुआ, इन्दौर से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(405)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.